उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-4/2022/2074/तीस-4-2021
लखनऊः दिनांकः 27 दिसम्बर, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-जी0एस0आर0 652(ई), दिनांक 23.09.2021 द्वारा प्रख्यापित केन्द्रीय मोटर यान (इक्कीसवां संशोधन) नियम, 2021 के नियम 3 के अन्तर्गत अंतःस्थापित 'स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन और नियन्त्रण' विषयक अध्याय 11 के अधीन नियम 186 के प्राविधानानुसार नियम 175 के उपनियम (9) या नियम 185 के अधीन "रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी" के आदेश द्वारा व्यथित व्यक्ति की अपील की सुनवाई हेतु प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को एतद्द्वारा नामित किया जाता है।

राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव

संख्या-4/2022/2074(1)/तीस-4-2021, तद्दिनांक।

उक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार), परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश।
(2) संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, ट्रान्सपोर्ट भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को उनके अधिसूचना संख्या-जी0एस0आर0 652(ई), दिनांक 23.09.2021 के संदर्भ में।
(3) प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) समस्त विशेष सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) समस्त अपर परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, मुख्यालय, लखनऊ।
(7) संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9) परिवहन अनुभाग-1/2/3 उ0प्र0 शासन।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-2074(1)/तीस-4-2021
लखनऊः दिनांकः 27 दिसम्बर, 2021

कार्यालय-ज्ञाप

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-जी0एस0आर0 652(ई), दिनांक 23.09.2021 द्वारा प्रख्यापित केन्द्रीय मोटर यान (इक्कीसवां संशोधन) नियम, 2021 के नियम 3 के अन्तर्गत अंतःस्थापित 'स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन और नियन्त्रण' विषयक अध्याय 11 के अधीन नियम 174(1)(iv) के प्राविधानानुसार स्वचालित परीक्षण स्टेशनों के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने, रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी करने और नवीनीकृत करने के लिए 'रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी' के रूप में परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश को एतद्द्वारा नामित किया जाता है।

राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव

संख्या-2074(1)(1)/तीस-4-2021, तद्दिनांक।

उक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार), परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश।
(2) संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, ट्रान्सपोर्ट भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को उनके अधिसूचना संख्या-जी0एस0आर0 652(ई), दिनांक 23.09.2021 के संदर्भ में।
(3) प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) समस्त विशेष सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) समस्त अपर परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, मुख्यालय, लखनऊ।
(7) संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9) परिवहन अनुभाग-1/2/3 उ0प्र0 शासन।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4
संख्या-2074(2)/तीस-4-2021
लखनऊः दिनांकः 27 दिसम्बर, 2021

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-जी0एस0आर0 652(ई), दिनांक 23.09.2021 द्वारा प्रख्यापित केन्द्रीय मोटर यान (इक्कीसवां संशोधन) नियम, 2021 के नियम 3 के अन्तर्गत अंतःस्थापित 'स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन और नियन्त्रण' विषयक अध्याय 11 के अधीन नियम 174(1)(v) के प्राविधानानुसार स्वचालित परीक्षण स्टेशन द्वारा दिये गये वाहन के परीक्षा परिणाम के विरूद्ध नियम 183 के प्रयोजनार्थ संभागीय परिवहन अधिकारी को अपने संभाग से सम्बन्धित मामलों की सुनवाई हेतु एतद्द्वारा अपीलीय प्राधिकारी नामित किया जाता है।

राजेश कुमार सिंह
प्रमुख सचिव

<u>संख्या-2074(2)(1)/तीस-4-2021, तद्दिनांक।</u>

उक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी (स्वतंत्र प्रभार), परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश।
(2) संयुक्त सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, ट्रान्सपोर्ट भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 को उनके अधिसूचना संख्या-जी0एस0आर0 652(ई), दिनांक 23.09.2021 के संदर्भ में।
(3) प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) समस्त विशेष सचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) समस्त अपर परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, मुख्यालय, लखनऊ।
(7) संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनुसचिव, परिवहन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(9) परिवहन अनुभाग-1/2/3 उ0प्र0 शासन।
(10) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अरविन्द कुमार पाण्डेय
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।